

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (28) वन/2022

जयपुर, दिनांक:-

Assitant Inspector General of Forests,  
FC Division, Govt of India  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,  
Indira Paryavaran Bhawan,  
Aliganj, Jor Bag Road,  
New Delhi - 110003,

**विषय:-** Diversion of 100.05 ha of forest land in favour of NPCIL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power Project (MBRAPP)-1 to 4 in the State of Rajasthan(Proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)

**संदर्भ:-** आप द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति क्रमांक 8-10/2022-FC दिनांक 12.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सैद्धांतिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्राटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवस/51 दिनांक 08.01.2024 से पूर्व में प्राप्त बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट एवं पत्रांक एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवस/548 दिनांक 26.02.2024 से प्राप्त अतिरिक्त सूचना मय राज्य सरकार की अभिशंषा सहित प्रेषित कर, अनुरोध है कि विषयाकित प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति जारी करवाने का श्रम करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

( मोनाली सेन )  
विशिष्ट शासन सचिव, वन

Signature valid

RajKaj Ref  
6293421



Digitally signed by Monali Sen  
Designation: Special Secretary To  
Government

Date: 2024.03.27 13:52:44 IST

Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी परिसर भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर,  
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID [ads.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads.forest@rajasthan.gov.in) letter/diversion/ajayfloder/



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं/ 548

दिनांक 26-02-24

विशिष्ट शासन सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
राजस्थान सरकार,  
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Proposal for diversion of 100.05 ha. of forest land in favour of NPCL for Mahi Banswara, Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP) - 1 to 4. (Proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)

संदर्भ:-Vide Letter No. 397 Dated: 15.02.2024

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र राजस्थान सरकार का पत्रांक प. 1(28)वन/2022 दिनांक 13.02.2024 से आलोच्य प्रकरण में सूचना चाही गई थी। जिसकी पालना न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड माही बांसवाडा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना बांसवाडा के पत्रांक 397 दिनांक 15.02.2024 से प्राप्त कर निम्नानुसार सहमति के साथ प्रस्तुत हैं:-

So. No.	Objection	Response
1	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक अनुमोदन की शर्त संख्या XI में पर्यावरणीय मंजूरी मांगी गई थी, जो लंबित प्रतीत होती है।	As per reply of UA, Terms of Reference (ToR) vide letter no: J-14011/2/2014-IA.II (N) dated 05.06.2014 has been granted MoEFCC. Public hearing was conducted on 24.05.2018 and after public hearing EIA-EMP Report with ToR Compliance was submitted to MoEFCC on 29.05.2018 for appraisal. Further Environment Clearance process in process.
2	उक्त प्रस्ताव में कुल 100.05 हैक्टेयर वनभूमि को प्रत्यावर्तित करने की मांग की गई है, जबकि जिला-कलेक्टर बांसवाडा द्वारा कुल 100.12 हैक्टेयर का वन अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसमें से परियोजना के लिए कुल 73.77 हैक्टेयर और जल गलियारे के लिए 26.35 हैक्टेयर जारी किये गये है। इसलिए कृपया उपरोक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।	Forest Rights Act Certificate of a total 100.12 ha has been issued by the District collector, Banswara. while a total of 100.05 ha of forest land has been diverted for Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project. 73.77 ha is required for project is unchanged but as per direction of MoEFCC the boundary has been re-adjusted for water corridor, hence the area of Village Bari Khasra no. 110, area 3.40 ha is reduced to 3.33 ha and now water corridor area becomes 26.28 ha. Copy of Khasra no list is

	attached with adjusted khasra number as highlighted. hence there is no issue regarding the FRA Certificate of more area.
--	--

संलग्न:- उक्तानुसार

भवदीया,

Shikha  
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(98/10)2016/एफसीए/प्रमुवसं/

दिनांक

प्रतिलिपि:-न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना बांसवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर



न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
**Nuclear Power Corporation of India Limited**

(भारत सरकार का एक उद्यम A Government of India Enterprise)

माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना  
**Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project**

पोस्ट ऑफिस नापला, ग्राम रेल, आडीभीत तह. छोटीसरवन बांसवाड़ा, पिन 327001  
P.O. Napla, village Rel, Aadibhit The. Choti Sarwan Banswara, PIN 327001  
(ई-मेल e-mail mbrappnpcil@gmail.com)

No. NPCIL/MBRAPP/Site/2024/397

Dated: 15-02-2024

APCCF and Nodal Officer (FCA)

Rajasthan

Subject: Diversion of 100.05 ha of forest land in favor of NPCIL of Mahi Banswara Atomic Power Project (MBRAPP 1-4) in the state of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Others/22621/2016)

Reference: Vide Letter No प. 1(28) वन / 2022 dated: 13/02/2024

With reference to above, as discussed with Nodal Officer, Jaipur on 15.2.2024. Pointwise compliance is as given below:

**Observation 1.** Environmental clearance was sought in condition number XI of the in-principle approval issued by Government of India, which appears to be pending.

**Response:** Terms of Reference (ToR) vide letter no: J-14011/2/2014-IA.II (N) dated 05.06.2014 has been granted MoEFCC. Public hearing was conducted on 24.05.2018 and after public hearing EIA-EMP Report with ToR Compliance was submitted to MoEFCC on 29.05.2018 for appraisal. Further Environment Clearance process in progress.

**Observation 2.** In the said proposal, a total of 100.05 ha of forest land has been sought to be repatriated while the forest Rights Certificate of a total 100.12 ha has been issued by the District collector, Banswara. out of which a total of 73.77 ha has been issued for the project and 26.35 ha has been issued for the water corridor. Therefore, please clarify the situation reg the above.

**Response:** Forest Rights Act Certificate of a total 100.12 ha has been issued by the District collector, Banswara. while a total of 100.05 ha of forest land has been diverted for Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project. 73.77 ha is required for project is unchanged but as per direction of MoEFCC the boundary has been re-adjusted for water corridor, hence the area of Village Bari Khasra no. 110, area 3.40 ha is reduced to 3.33 ha and now water corridor area becomes 26.28 ha. Copy of Khasra no list is attached with adjusted khasra number as highlighted.

Enclosed: As above

*Sarj Kumar Verma*  
15.12.2024  
Sarj Kumar Verma

Project Director, MBRAPP

MBAPP  
4  
15/02

69  
19-02-24

# कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाडा (राज.)

क्रमांक/राजराय/476) 2010/3942

दिनांक - 1/12/2017

मुख्य अभियन्ता  
एन पी सी आई एल बांसवाडा।

विषय- वन विभाग की भूमि का अकृषि परियोजनाार्थ उपयोग हेतु डाईवर्जन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम आडीभौत, कटुम्बी, रेल, बारी व सजवानिया में स्थापित होने वाले 4 गुणा 700 मगावाट एन.पी.सी.आई.एल. प्रोजेक्ट में आने वाली वन विभाग की भूमि रकबा 455.15 बीघा (73.77 हेक्टर) के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 27-04-2017 तथा प्रोजेक्ट हेतु वाटर कारिडोर की स्थापना में ग्राम बारी, लालपुरा एवं बॉक की वन विभाग की भूमि 162.02 बीघा (26.35 हेक्टर) की बैठक दिनांक 28-11-2017 को आयोजित की जाकर कुल रकबा 100.12 (73.77+26.35) हेक्टर का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उक्त प्रमाण पत्र एवं बैठक कार्यवाही विवरण मय सलग्न कागजात वास्ते आवश्यक कार्यवाही निजवाये जा रहे हैं।

- सलग्न :-
- 1 डाईवर्जन हेतु प्रमाण पत्र।
  - 2 जिला स्तरीय वनाधिकार की बैठक कार्यवाही विवरण।
  - 3 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव।

प्रतिलिपि :-

- 1 उप वन संरक्षक वन विभाग बांसवाडा।

उप वन संरक्षक  
बांसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर  
बांसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर  
बांसवाडा (राज.)

Status of the Payment made by User Agencies

Click on Proposal No. to view Detail of proposal. Click on Demand letter to view Unverified demand letter.  
 CA : Compensatory Afforestation; Add CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Add PA : Additional Charges for protected area  
 NP : Not Present Value.

- Verify** : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified** : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.
- Paid** : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014  All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :  Select State :

Select User Agency :

Payment Status :  Paid  Unpaid  All

Bank Name :  Mode of Payment :

Transaction Date (From) :  Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application No	Date of Dis-PRENCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FFR/Others/2012/2014 "Verified".aspx? pid=FFR/Others/22521/2014  Maha Bangsora Rajasthan Atomic Power Project MSRAPPY-1 to 4	OTHERS2252120142014	15 May 2013	CA: 5562000- PCA: 0- Safety Zone: 0- NP: 122320400- Total : 17858400-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment (Challan) Challan Generated On Transaction Date	Demand Letter [...] Generated Challan (...)

[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/\)](https://swachhbharat.mygov.in/)
[\(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN\)](http://www.digitaindia.gov.in/)
[\(HTTPS://DATA.GOV.IN/\)](https://data.gov.in/)
[\(HTTPS://INDIA.GOV.IN/\)](https://india.gov.in/)
[\(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)
[\(HTTP://WWW.MEITY.GOV.IN/\)](http://www.meity.gov.in/)
[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](http://www.pmindia.gov.in/en/)
[\(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](http://www.nic.in/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India  
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EPCDD, NIC, New Delhi, monitoring-fo(at)nic(dot)in

*Verified*  
 (दिनेश कुमार गुप्ता)  
 जय जय संतोष (एच.सी.डी.)  
 राजस्थान, जयपुर

## FORM-II

( for project other than linear projects )

Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR BANSWARA (RAJASTHAN)

No. 3943

Dated... 1/12/2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified the 73.77 Hect. for project and 26.35 Hect. Land for water corridor total 100.12 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NPCIL Banswara for establishment of Nuclear Power Project in Banswara district falls within Jurisdiction of Bari, Sajwaniya Adibhit, Katumbi, Rail, Laipura and Wank village(s) in Choiservan tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 100.12 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabah(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... 1... to 69... annexure .....
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabah of forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- the each of concerned Gram Sabah(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabah of Napla, Bar and Katumbi village(s) enclosed as annexure... 1... 70... 69
- the discussion and decisions of such proposals and taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabah present,
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabah have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above

उप वन संरक्षक  
बांसवाड़ा (राज.)

Signature  
District Collector  
Banswara (Rajasthan)

## बैठक कार्यवाही विवरण

जिला सारीय वन अधिकार समिति बाराबाइ की बैठक आज दिनांक 27-04-2017 को अवमान्य 300 बजे को जिला कलेक्टर सहायक वन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न प्रयोजनार्थ वन भूमि को प्रत्यावर्तन हेतु उपलब्ध सारीय बाराबाइ/छोटीसरवन जिला बाराबाइ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि को अनुसूचित जनजाती एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मांगवाला) अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति की जाने हेतु प्रकरण विमानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :-

अनुसूचित  
जनजाति

1. ग्राम पंचायत कटुम्बी के ग्राम आडीगीत व कटुम्बी ग्राम पंचायत नपला के ग्राम रेल, ग्राम पंचायत बारी के ग्राम बारी, सजधानिया द्वारा भारत सरकार के उपक्रम न्यूजिलेन्ड पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पंचायत समिति छोटीसरवन के ग्राम कटुम्बी आडीगीत, रेल, सजधानिया व बारी तथा ग्राम पंचायत कंसरपुरा के ग्राम खाण्डिमादेव में स्थापित होने वाले 4x700 मेगावाट परमाणु विजलीघर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रमाण पत्र जारी करवाने के सम्बन्ध में -

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा बीघा में	कुल रकबा हेक्टर में			
1	कटुम्बी	आडीगीत	314/183	12.02				
			315/194	10.00				
		योग		22.02	3.57			
			कटुम्बी	246/2	3.09			
				253/2	62.18			
				1683/2531	0.05			
				254/2	0.06			
			योग		66.18	10.82		
		2	नपला	रेल	63	12.10		
					64	18.00		
65	6.00							
योग				36.10	5.90			
3	बारी	बारी	127	103.11				
			643	2.01				
			646	0.19				
			647	4.07				
			648	1.10				
			652	2.15				
			655	9.02				
			811	3.04				
			918	11.17				
			915	9.18				
			644	2.00				
			645	2.00				
			653	2.00				
			654	0.10				
			योग		155.14	25.20		
				सजधानिया		807	0.09	
						808	34.10	
						880	9.09	
881	0.01							
889	22.13							
914	15.12							
915	0.05							
917	0.19							
		919	0.10					
		956	27.17					
		957	0.10					
		984	3.19					
		985	0.05					
		992	7.15					
		995	2.15					
		999	47.06					

उपवन संरक्षक  
बाराबाइ (राज.)



		योग	174.15	28.28		
		योग की सम्पूर्ण भूमि का योग	455.15	73.77		
श्रीसरकार विभागायुक्त भूमि विवरण जगत						
कटुबी	जमीनीय	19	22.05			
		32	6.16			
		100	1.05			
		103	7.07			
		109	4.10			
		111	6.01			
			48.04	7.80		
			0.01			
			0.01			
		बारी	योग कटुबी योग बारी	119	1.05	
				114	3.04	
115	1.11					
121	1.01					
124	7.02					
126	3.02					
139	2.04					
475	0.12					
478	17.07					
481	4.05					
639	0.14					
642	1.07					
717	2.05					
766	12.08					
806	10.11					
810	4.12					
813	1.14					
825	1.10					
903	11.12					
909	6.18					
919	17.00					
924	1.07					
927	21.17					
934	10.17					
945	0.05					
946	0.08					
947	0.07					
958	0.07					
991	9.14					
999	1.02					
483	5.00					
	योग	163.08	26.45			
2	कंतरपुरा	खाण्डियादेव	1	21.05		
			12	0.09		
			17	1.07		
			22	0.07		
			29	0.18		
			30	1.03		
			32	0.08		
			454/1	0.15		
			470/1	1.00		
			475/1	1.10		
			429/1	1.05		
			483/5	1.17		
			476/1	2.10		
			420/32	0.07		
			481/3	0.15		

उपवन सरसक  
द्वारावाडा (राज)

	484.5	0.17	
	488.5	2.17	
योग	490.5	1.00	
श्री सरकार सिवायक भूमि किस्म जंगल का सम्पूर्ण योग		40.10	6.55
		252.03	40.80


2. जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में निम्न सदस्य उपस्थिति हुए -


- (1) उप वन संरक्षक
- (2) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
- (3) श्री मान सिंह जिला परिषद सदस्य
- (4) श्री विशोरीलाल जिला परिषद सदस्य


पूर्व बैठक दिनांक 15-03-2017 में उक्त प्रकरण में संकल्प पारित करने के पूर्व सारथी ग्राम पंचायत बारी द्वारा वनाधिकार सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के क्रम में सचिव ग्राम पंचायत बारी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 4


(6) राज/2017/1147-48 दिनांक 15-03-2017 स्मरण पत्रांक 1453-54 दिनांक 10-04-2017 को जारी कर उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने लिखा गया था। परन्तु दो बार लिखने के पश्चात भी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना 1 नवम्बर 2011 बाबत राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 16) के अध्याय 5 के विन्दु संख्या 16 (6) के अनुसार कार्यवाही का निष्पन्न लेते हुए उपस्थित सदस्यों द्वारा उपरोक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन की उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा/छोटीसरवन द्वारा अनुशाथा किये जाने एवं समीक्षा में तहरी पाये जाने पर प्रमाण पत्र जारी किये जाने स्वीकृति दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही उपस्थित सदस्यों द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा/छोटीसरवन द्वारा प्रस्तुत वन विभाग की सम्पूर्ण प्रभावित भूमि 456.15 बीघा अर्थात् 73.77 हेक्टर तथा श्री सरकार सिवायक भूमि किस्म जंगल कुल रकबा 252.03 बीघा अर्थात् 40.80 हेक्टर पर वन अधिकार के अधिनियम के सम्बन्ध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि भारत सरकार के उपक्रम माही बांसवाड़ा न्यूलियर पॉवर प्रोजेक्ट को उक्त श्री सरकार सिवायक भूमि किस्म जंगल भूमि परमाणु बिजलीघर स्थापना हेतु प्रत्यावर्तन किया जाना उचित होने से प्रत्यावर्तन करने की सहमति व्यक्त की है। सर्वसम्मति से उपरोक्त वन विभाग की वन भूमि एवं श्री सरकार सिवायक किस्म जंगल भूमि का प्रत्यावर्तन माही बांसवाड़ा न्यूलियर पॉवर प्रोजेक्ट को किये जाने हेतु समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।


अन्त में बैठक सन्म्यजद समाप्त की गई।


  
मनोनीत सदस्य

  
मनोनीत सदस्य

  
मनोनीत सदस्य

  
उपवन सरक्षक  
बांसवाड़ा

  
परियोजना अधिकारी,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास  
विभाग बांसवाड़ा

  
अध्यक्ष जिला कलक्टर  
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति  
बांसवाड़ा


### कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा


क्रमांक एफ 4 (2) राजस्व/2017/1943-51

दिनांक :- 27-04-2017

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा/छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा।
3. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
4. वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता एन.पी.सी.आई.एल. बांसवाड़ा (राज.)
5. मनोनीत सदस्य श्री .....
6. रक्षित पत्रावली।

  
उपवन सरक्षक  
बांसवाड़ा (राज.)

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा



2. जिला स्तरीय एवं अधिष्ठाता समिति को सूचना में निम्न सदस्य अधिष्ठाता हैं।
1. उप दन नरसिंह।
2. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
3. श्री भाम सिंह जिला परिषद् सदस्य।
4. श्री किशोरी, जल विद्या परिषद् सदस्य।

ग्राम पंचायत को प्राप्त अधिष्ठाता की गईं ग्राम सभा बैठक दिनांक 22-09-2017 में ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा की संरचना में प्रस्ताव पारित कर उत्सर्जित भूमि को ग्राम सभा को सौंप करवाई जाने तथा जमीं किती जमीन के सम्बन्ध में प्रस्ताव अधिष्ठाता एवं परिसमिति (मजान/कुँआ) पास जाये तो उसका उचित मुआयजा उन्हें विलया जाये। ग्राम सभाया की जाति पत्र होने पर पटवारी हस्ता करी भूअ.नि. संयुग्मी तथा वन विभाग के वन पत्र वनमाका सरपंच-रेज बंसवाड़ा से नया पत्र कराई से सौंपे कराई गईं, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 14-09-2017 को उपस्थित कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। मुकदमे कि रिपोर्ट उत्सर्जित आरक्षीयान में विररी भी खासतः का कार्रवाही शुरु जारी नहीं किया गया है, किन्ती को अहित का मीछे पर अधिष्ठाता तथा परिसमिति (मजान, कुँआ आदि) भूरी पास गईं है। जिसकी सूचना सरपंच ग्राम पंचायत करी को भी दी गई एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18-09-2017 तथा दिनांक 02-10-2017 को ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गईं परन्तु उक्त आरक्षीयान पर सहमति/असहमति का प्रस्ताव नहीं किया गया एवं ग्राम सभा की सहमति मानकर उपरजुड अधिकारी द्वारा पंचायती राज (उपखण्डों का समुच्चयित क्षेत्रों में उनको लागू होने के सम्बन्ध में उपखण्डों अधिनियम, 1993 (1999 का अधिनियम संख्या 16) के अध्याय 5 के विन्दु संख्या 13 (ह) के अनुसार उपखण्ड स्तरीय बैठक दिनांक 30-10-2017 को आयोजित की जाकर प्रस्ताव पारित किया गया। एवं उक्त कार्रवाही को निजकार सहीद्वारे हेतु निरन्तर किया गया।

उपखण्ड स्तरीय समिति बांसवाड़ा की अनुमति पर विचार दिनांक किया जायत सही जने पर प्रस्ताव पास जाये किने जमान स्वीकृति रिसे जाने पर सहमती वाकत की गईं साथ ही उपरिपत्र संश्रुतों द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति उपखण्ड द्वारा प्रस्तुत का विभाग की सम्पूर्ण प्राथकित भूमि संख्या 182.02 बीघा अर्थात 26.35 हेक्टेयर तथा श्रीसदकार सिवायक भूमि किने जमान का प्राथकित संख्या 0.14 बीघा पर उन आदेशों के उपप्राप्त के सम्बन्ध में पारित सकार पर विचार किया गया एवं पत्र कि भारत सरकार के उपरिपत्र मही बांसवाड़ा न्यूडिलमर पौदर प्रोजेक्ट को कंटर कंटेडिडों में आने वाली उक्त दन विभाग एवं श्रीसदकार सिवायक भूमि किने जमान परनाभु किनेलीयार स्थापना हेतु प्रत्याखतने किया जमान उचित होने में प्रत्याखतने करने की सहमति वाकत की है। एवं सहमति से उत्सर्जित दन विभाग की दन भूमि एवं श्रीसदकार सिवायक भूमि किने जमान भूमि का प्रत्याखतने मही बांसवाड़ा न्यूडिलमर पौदर प्रोजेक्ट को किये जाने हेतु समिति के उत्सर्जित संवरणों द्वारा सहमति वाकत की गईं अन्त में बैठक सम्बन्धवाक समाप्त की गईं।

*[Signature]*  
मजान सदस्य

*[Signature]*  
मजान सदस्य

मजान सदस्य

*[Signature]*  
उप दन नरसिंह  
बांसवाड़ा

*[Signature]*  
परियोजना अधिकारी  
जनजाति क्षेत्रीय विकास  
विभाग बांसवाड़ा।

*[Signature]*  
अध्यक्ष एवं जिला फोरमटर  
जिला स्तरीय एवं अधिष्ठाता समिति  
बांसवाड़ा

*[Signature]*  
अध्यक्ष